2022/327

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री धीरेन्द्र असारसा
निवासी रोज व्यू आबूपर्वत
जिला आबूपर्वत।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 58 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म से तामील में जारी हुए
25.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 11.05.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 21.12.2020, 15.3.2022 एवं 31.03.2022 के सन्दर्भ में जिला कलक्टर सिरोही को प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अम्बेडकर भवन के निर्माण से सम्बन्धित आदेश की प्रति एवं सूचना आयुक्त को अपील संख्या CIC/SIRH/A/2021/106676 के सन्दर्भ में प्रस्तुत जवाब की प्रमाणित प्रति एवं उक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में किए गए पत्राचार की जावक पंजीका की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 11.05.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 21.12.2020, 15.3.2022 एवं 31.03.2022 के सन्दर्भ में जिला कलक्टर सिरोही को प्रस्तुत रिपोर्ट एंव अम्बेडकर भवन के निर्माण से सम्बन्धित आदेश की प्रति एवं सूचना आयुक्त को अपील संख्या CIC/SIRH/A/2021/106676 के सन्दर्भ में प्रस्तुत जवाब की प्रमाणित प्रति एवं उक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में किए गए पत्राचार की जावक पंजीका की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 607 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा अपीलांट को कुछ बिन्दुओं को एवं उनके विषयों को स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था एवं कुछ बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा व्यक्त किए गए [illegible] नहीं करते हुए इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जो उचित प्रती[illegible] है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की [illegible] नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 18:29:50 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner